कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 1316 /सम्भल/14362/2015, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 21, 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : सम्भल में आगरा–मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 146 की बायीं पटरी पर ग्राम–रसूलपुर के खसरा सं0–149 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.2138 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–1714/14–1, दिनांक 13.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार के पत्र दि0 29.06.2016 द्वारा इंगित त्रुटियों का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– बिन्दु–1 के निराकरण हेतु इस कार्यालय से भारत सरकार को अलग से पत्र लिखा गया है। निराकरण होने के उपरान्त ऑनलाइन पार्ट–1 की कटिंग की गयी प्रति को हटाकर संशोधित हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में 10 वर्षो के अनुरक्षण का समावेश करते हुए विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करने का कष्ट करें।

3– ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ई (3) में अंकित सूचना त्रुटिपूर्ण है। क्या 10 मानव दिवस से परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सूचना संशोधित करें।

4– उपरोक्त इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव व विषय सूची पर पृष्ठ संख्या ठीक करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव को इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

21.12.2016

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1316 / ,उक्तदिनांक

1– प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल को इस आशय से प्रेषित कि संशोधित प्रस्ताव शीघ्रतिशीघ्र वन संरक्षक, मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।।

2– प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए–5, से0–3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

21.12.

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।